न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2020 G.C.M.S. No. 2020/00018 दर्ज दिनांक : 01.01.2020

अपीलार्थिगण:

दिलखुश पुत्र श्री संतोकचंदजी जाति जैन निवासी "कमला कुंज", जैनों का बास, धार के नीचे, कोट बालियान तहसील बाली जिला पाली (राज.) हाल पता– एस.एच. जैन, 7/बी, धनरत्न अपार्टमेन्ट, जे.पी. रोड़, अंधेरी(वेस्ट), मुम्बई – 400058

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

राज. राज्य द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, तहसील बाली जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश/ निर्णय दिनांक 13.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली सरकार बनाम दिलखुश प्रकरण क्रमांक राजस्व विविध 18/2012 अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री पी.एम. जोशी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक: 24.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली के राजस्व विविध संख्या 18/2012 बअनवान सरकार बनाम दिलकुश में पारित आदेश दिनांक 13.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी कोट बालियान के खसरा नंबर 1087 रकबा 0.83 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी अकृषि प्रयोजनार्थ यथा आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग किए जाने का अंकन प्रस्तुत करते हुए उक्त आराजी को राजकीय सिवायचक दर्ज कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत, मनमाना, अनुचित, विधि की प्रक्रिया की सम्यक् पालना किए बिना एवं रेकर्ड के सर्वथा विपरीत पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी का सामान्य निवास, व्यवसाय का पता शीर्षक में वर्णित है। सामान्य निवास का पता राजस्थान से बाहर का है। अपीलार्थी को न तो कभी सूचना–पत्र प्राप्त हुआ, न ही

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी के वास्तविक पते से जारी किया गया एवं न ही दिनांक 25.01.2017 से दिनांक 13.05.2017 की किसी अवधि में अपीलार्थी राजस्थान में उपलब्ध रहा है। जिससे बिना किसी जानकारी, बिना किसी सुनवाई का अवसर दिए तथा बिना नोटिस सम्यक् पते पर जारी किए प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्ध निस्तारित किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी की न तो कथित प्रार्थना–पत्र, न ही कथित मौका फर्द दिनांक 12.05.2017 एवं न ही कथित पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2011 में कोई उपस्थिति दर्ज है, न ही उसका कोई पता दर्ज है एवं न ही पटवारी के बयान से कभी दिलखुश का मिलना ही स्पष्ट होता है। इन स्थितियों में भी किसी भी रूप से सही तामील के प्रसंज्ञान का सवाल ही नहीं उठता है। पत्रावली में लोक अदालत द्वारा जारी नोटिस तामील होना अंकित किया गया है एवं एक जवाब भी कथित रूप से अपीलार्थी का बताया गया है जोकि पत्रावली पर उपलब्ध है, किन्तु न तो अपीलार्थी को कोई लोक अदालत के नोटिस की तामील हुई, न ही अपीलार्थी कभी लोक अदालत में उपस्थित हुआ एवं न ही पत्रावली में उपलब्ध कथित दिनांक 13.05.2017 का जवाब अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है। जवाब पर हस्ताक्षर भी फर्जी रूप से किए गए हैं। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा आज तक कभी हिन्दी में हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, बल्कि अपीलार्थी के हस्ताक्षर वर्तमान में प्रस्तुत प्रकरण में अंग्रेजी में किए गए हस्ताक्षर ही हैं, जिससे किसी सोची–समझी साजिश के तहत फर्जी कार्यवाही को अस्तित्व में लाकर अपीलार्थी की तामील व जवाब बताकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध कथित जवाब में भूमि को भूखण्ड बताकर बेचान स्वीकार करना कथित रूप से बताया गया है। उक्त सम्पूर्ण वक्तव्य से यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि इस प्रकार का जवाब किसी षडयंत्र का नमूना मात्र ही हो सकता है। क्योंकि कोई भी स्वस्थ एवं होश–ओ–हवास से पूरित व्यक्ति इस रूप से जवाब में तथ्य वर्णित कर जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.05.2017 में कथित रूप से 11 व्यक्तियों के भूखण्ड बताए गए हैं, जिनमें कथित रूप से मकान एवं चारदीवारी बनी होना भी अंकित है। उक्त सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाए बिना एवं उनकी सुनवाई किए बिना कोई कार्यवाही न तो पोषणीय रहती है न ही चलने योग्य रहती है एवं न ही आदेश पारित किए जाने योग्य रहती है। उक्त तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मनन नहीं किया गया। प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी भी पक्षकार द्वारा LIABILITY TO INJECTMENT का कंटेस्ट किए जाने पर प्रार्थना पत्र को वाद में परिवर्तित करने के आदेश प्रदान किया जाना आज्ञापक है एवं वाद में तब्दील कर तदनुरूप वाद की कार्यवाही किया जाना आज्ञापक एवं आवश्यक है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप कार्यवाही नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया गया है। साथ ही लोक अदालत में आदेशिका में ही निर्णय लिखा गया है, जिसमें किसी मौका रिपोर्ट तलबी या मौका रिपोर्ट के अवलोकन का कथन अंकित नहीं हैं एवं न ही किसी पटवारी के बयान लिया जाना अंकित है। लोक अदालत में रखी पत्रावली में गुणावगुण पर रिपार्ट, पटवारी के बयान आदि की स्थितियां सर्वथा ही विधि के प्रतिकूल है। उक्त प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर निर्णय पारित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

लोक अदालत में मात्र आपसी समझाईश एवं राजीनामें से ही एवं आपसी सहमति से ही प्रकरण का निस्तारण हो सकता है। किन्तु उक्त आदेश में उक्त तथ्य की सर्वथा अवहेलना की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में लोक अदालत में अपीलांट की सर्वथा त्रुटिपूर्वक उपस्थिति, पता, जवाब एवं हस्ताक्षर आदि बताकर एवं अपीलांट को बिना समुचित सुनवाई का अवसर एवं नोटिस प्रदान कर एवं बिना साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, मनगढ़ंत एवं असत्यता से परिपूर्ण तथ्यों को आधार मानकर एवं विधि में प्रदत्त सुस्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज कर उक्त विधिविरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपीलांट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय की कभी कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी महाराष्ट्र में निवासरत व व्यवसायरत है। दिनांक 25.01.2017 से दिनांक 30.05.2017 की अवधि में अपीलांट कभी गांव में नहीं आया। अपीलांट को दिनांक 24.11.2019 को बाली जाने पर प्रथम बार उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी हुई। तथा दिनांक 25.11.2019 को नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 28.11.2019 को प्राप्त हुई। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन करते हुए प्रकरण के समुचित न्याय–निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। जोकि निम्नानुसार है– (Citation : 2024(1) DNJ (Rev.)324), (2024(1) RRT 225), (2024(1) RRT 267), (2024 (1) RRT 67)

1. अपील के अंतिम निस्तारण से पूर्व धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक है। अपीलांट प्रार्थी का मुख्य कथन है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय की कभी कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी महाराष्ट्र में निवासरत व व्यवसायरत है। दिनांक 25.01.2017 से दिनांक 30.05.2017 की अवधि में अपीलांट कभी गांव में नहीं आया। अपीलांट को दिनांक 24.11.2019 को बाली जाने पर प्रथम बार उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी हुई। तथा दिनांक 25.11.2019 को नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 28.11.2019 को प्राप्त हुई। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 10.01.2017 के अनुसार पत्रावली अप्रार्थी के जवाब के लिए दिनांक 25.01.2017 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 25.01.2017 के अनुसार पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर पधारें हैं, पत्रावली दिनांक 13.05.2017 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 13.05.2017 के अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प कोटबालियान में

Scanned with OKEN Scanner

पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 दिलखुश के उपस्थित होकर जवाब पेश कर बिना संपरिवर्तन के भूमि के भूखण्ड काटकर बेचान करना स्वीकार करना अंकित है, लेकिन आदेशिका पर दिलखुश के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली पर दिलखुश का जवाब प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं हैं। धारा 177(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार यदि खातेदार बेदखल किए जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय धारा 177 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वादपत्र के रूप में समझेगा। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि पत्रावली अप्रार्थी अपीलांट के जवाब में लंबित थीं तथा जवाब बंद किए बिना प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में निर्णित कर दिया गया, जबकि लोक अदालत में केवल उभयपक्ष की सहमति से ही प्रकरण रखे जा सकते हैं व उभयपक्ष की सहमति व राजीनामे के आधार पर ही प्रकरण निर्णित किए जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थी की उपस्थिति एवं सहमति का पूर्णतया अभाव है।

3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178 (2) में यह प्रावधान है कि न्यायालय आदेश या डिक्री सशर्त होगी तथा अप्रार्थी खातेदार द्वारा मांग किए जाने पर उसे भूमि को मूल स्वरूप में लौटाने के लिए या क्षतिपूर्ति करने के लिए अवसर दिया जाएगा, लेकिन अपीलाधीन निर्णय में ऐसे किसी अवसर या शर्त का सर्वथा अभाव है।

4. राजीनामा के जरिये लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– " No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय पुष्टि/सहमति योग्य नहीं हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा, कि प्रकरण पुनः दर्ज कर अपीलांट अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें, तथा प्रकरण के निर्णय तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के मौका एवं अभिलेख की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 18/2012 बअनवान तहसीलदार

Scanned with OKEN Scanner

बाली बनाम दिलखुश में पारित आदेश दिनांक 13.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण पुनः दर्ज कर अपीलांट अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें, तथा प्रकरण के निर्णय तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के मौका एवं अभिलेख की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner